

मध्यप्रदेश शासन
जन शिकायत निवारण विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462003

क्र:237/45/जनशि/53/2014

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश,
समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश।

विषय:-जन शिकायत के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जांच दल का गठन।

संदर्भ:-मुख्य सचिव महोदय का परिपत्र क्र. 226/45/जनशि/53/2014,
भोपाल दिनांक 20 फरवरी, 2014

-0-


मुख्य सचिव महोदय के संदर्भित परिपत्र के तारतम्य में जन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु निम्नानुसार जांच दल गठित किया जाता है -

1. शासन स्तर से जन शिकायत निवारण विभाग का अधिकारी
2. विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय में जन शिकायत निवारण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ।
3. जिला स्तर पर जन शिकायत निवारण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी (अपर कलेक्टर के स्तर से निम्न न हो)।

4

//2//


दल विभाग/विभागाध्यक्ष एवं जिलों में भ्रमण कर शिकायतों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कर सतत समीक्षा करेगा तथा शिकायतों के निराकरण में हो रहे विलंब की स्थिति में जांच करेगा। कृपया दल को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
(मुख्य सचिव द्वारा आदेशित)


(राकेश अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
जन शिकायत निवारण विभाग

पृ.क्र: 238/45/जनशि/53/2014

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2014

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान. समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल।


(तबस्सुम जैदी) 24/2/14
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
जन शिकायत निवारण विभाग